

## GST परिषद की 45वीं बैठक

### प्रलिमिस के लिये:

GST परिषद, GST

### मेन्स के लिये:

GST परिषद की संरचना और संबंधित मुद्दे

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [वस्तु एवं सेवा कर \(GST\) परिषद](#) की 45वीं बैठक संपन्न हुई।

**What's in store |** The 45th GST Council meeting was chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman in Lucknow on Friday. Among the key decisions are:

■ Concessional tax rates on COVID-19 essential medicines like Tocilizumab extended till December 31


■ Muscular atrophy drugs such as Zolgensma and Viltepso that cost around ₹16 cr. exempted from GST

■ Import of leased aircraft exempted from I-GST

■ Food delivery apps to collect GST instead of restaurants

■ Tax on **fortified rice kernels** for ICDS scheme reduced from 18% to 5%

■ GST on cancer drug Keytruda brought down from 12% to 5%



II

### प्रमुख बाटु

- रियायती GST दरों का वसितार:
  - परिषद ने दसिंबर 2021 तक कोवडि-19 उपचार से संबंधित कई दवाओं पर GST राहत के वसितार का नियमित लिया।
- खाद्य वतिरण एप्स एकत्र करेंगे GST:
  - अब रेस्टराँ भागीदारों के बजाय ऑनलाइन फूड डलीवरी एग्रीगेटर फर्म जैसे स्वर्गी और ज़ोमैटो GST का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होंगे।
    - वर्तमान में फूड एग्रीगेटर्स द्वारा उत्पन्न ऑनलाइन बिलों में पहले से ही GST एक कर घटक होता है।
    - अभी तक कर की राशि का भुगतान रेस्टराँ भागीदारों को वापस कर दिया जाता है, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वे इस राशि का भुगतान सरकार को करेंगे।
- पेट्रोल-डीजल GST के दायरे में नहीं आएगा:
  - परिषद ने पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में नहीं लाने का फैसला किया है। राज्यों ने इनकी कीमतों में उछाल पर चाहिए जताते हुए बैठक

के दौरान ईंधन को शामिल करने का कड़ा वरीध किया।

- यद्यपि ट्रोल और डीज़ल GST व्यवस्था के तहत आते हैं, तो कीमतें सभी राज्यों में एक समान हो जाएगी क्योंकि केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए वभिन्न उत्पाद शुल्क तथा वैट दरों को हटा दिया जाएगा।
- इससे डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में महत्वपूर्ण कमी लाने में मदद मिली, हाल के समय में जनिकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं।

- **फोर्टफिइड चावल पर GST घटाया गया:**

- एकीकृत बाल विकास योजना जैसी योजनाओं के लिये फोर्टफिइड चावल पर GST दर को 18% से घटाकर 5% करने की सफिराशि की गई है।

- दर को युक्तसिंगत बनाने के लिये GOM:

- रविरेस शुल्क ढाँचे को ठीक करने और राजस्व बढ़ाने के प्रयास हेतु दर युक्तकिरण संबंधी मुद्दों को देखने के लियाज्य के मंत्रयों के एक समूह (GOM) का गठन किया जाएगा।
  - रविरेस शुल्क संरचना तब उत्पन्न होती है जब आउटपुट या अंतमि उत्पाद पर कर, इनपुट पर कर से कम होता है, इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक रविरेस संचय होता है जैसे ज्यादातर मामलों में वापस करना पड़ता है।
  - **रविरेस शुल्क संरचना (Inverted Duty Structure)** में राजस्व बहरिवाह की समस्या नहित है, इसके लिये सरकार को शुल्क संरचना पर फरि से वचार करना चाहयि।
- ई-वे बलि, फास्टेंग, अनुपालन (Compliances), प्रौद्योगिकी, वर्तमान कमयिंग को दूर करने, कंपोज़िशन स्कीम आदि के मुद्दों को व्यवस्थित करने के लिये अन्य GOM स्थापति किये जाएंगे।

## GST परिषद

- यह माल और सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र एवं राज्य सरकार को सफिराशिंग करने के लिये अनुच्छेद 279A के तहत एक संवेधानकि नकिय है।
- GST परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करता है और सभी राज्यों के वित्त मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं।
- इसे एक संघीय नकिय के रूप में स्थापति किया गया है जहाँ केंद्र और राज्यों दोनों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/45th-gst-council-meeting>